सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 387/2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

कल्याण पुत्र लाखा जाति गूर्जर निवासी सदारी तहसील सावर जिला – अजमेर

वादी

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र हजारी
2. मेनसुख पुत्र सूरजकरण
3. कालू पुत्र सूरजकरण
4. प्रेम पत्नि सूरजकरण
   तमाम जाति गूर्जर निवासी सदारी तहसील सावर जिला अजमेर राज.
5. तहसीलदार सावर सा.,भू.अभि., एंव उपपंजीयक सावर जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

6. काना पुत्र मांगीलाल
7. रूपा पुत्री मांगीलाल
   तमाम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सदारी तहसील सावर जिला अजमेर
8. श्रीमान शाखा प्रबन्धक , बडोदा राज. क्षैत्रीय ग्रामीण बैक शाखा मेहरूकंला

प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 28.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सदारा में पेश हुई। वादी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **188,209,53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सदारी तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 31 के खसरा नम्बर 196, 645, 646, 648 कुल किता 4 कुल रकबा 2.21 हैक्ट. भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रफॉर्मा प्रतिवादी स. 6 व 7 का 1/3 हिस्सा है। वादी एंव प्रतिवादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से आराजीयात पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है। वादी अपने हिस्से की आराजी पर हकाई बुआई करता है तो प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 व उनके साथी आपराधिक किस्म के व्यक्ति वादी को आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है । वादी द्वारा सयुक्त आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा किया जाना चाहा है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री मोहम्मद हुसैन अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार वादी का वादग्रस्त भूमि में एक ईंच भूमि पर भी कब्जा नही है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सानुसार बंटवारा वर्षो पहले हो रखा है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। पत्रावली आज केम्प कोर्ट सदारा में पेश हुई। वादी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित।

हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का प्रेमापेशाई केस होना पाया जाता है तथा वाद का संतुलन वादी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः वादी का दावा वाके वाके ग्राम सदारी तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 31 के खसरा नम्बर 196, 645, 646, 648 कुल किता 4 कुल रकबा 2.21 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी स. 1 लगायात 4 को वादी के हिस्से तक जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं वादी के हिस्से की आराजी में जबरन कब्जा, रहन, बैचान आदि कार्य नही करें। तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28 .06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी